न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस..

प्रकरण सं025 / 2025 दायर दिनांकः 20.05.2025

उनवान

1. मंदिर लक्ष्मीनारायणजी ट्रस्ट ग्राम बेडक्या जर्ये अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गालव आयु 66 वर्ष पुत्र दीनानाथ गालव जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. महावीर आयु 45 वर्ष पुत्र शंकरदास जाति बैरागी निवासी ग्राम बेडक्या
2. प्रेम बाई पत्नी शंकरदास जाति बैरागी निवासी ग्राम बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरु जिला बारां (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय।

अप्रार्थीगणः—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

निर्णय दिनांक 21.07.2025

प्रार्थी ने यहप्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212(2) आर0 टी0 एक्टका इस आशय का पेश किया है किप्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता कि पूर्ण आशा है। वाके ग्राम एवं माल बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में आराजी खाता संख्या 144 का खसरा नं. 115 का रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 428 का रकबा 0. 01 है0, खसरा नं. 429 का रकबा 3.20 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.33 है0 भूमि स्थित है जो मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज विराजमान बेडक्या के दर्ज खाता चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 व नक्शा ट्रेस, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के दर्ज खाता है। मन्दिर शाश्वत नाबालिग होने की वजह से मन्दिर की देखरेख सेवा पूजा अर्चना तेल भोग आदि की व्यवस्था हेतु मंदिर लक्ष्मीनारायण जी ट्रस्ट बना हुआ है। जो मंदिर की समुचित व्यवस्था व समय—समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता चला आ रहा है। उक्त आराजी को ट्रस्ट

द्वारा खुल्ली नीलामी बोली द्वारा मुनाफा काश्त पर जुपवाया जाता रहा है। जिसकी आय से मन्दिर की देखरेख व अन्य व्यवस्थाये की जाती है। इसी क्रम में कमेटी के सदस्यों द्वारा दिनांक 08/04/2025 को वर्ष 2025–26 हेतु खुली नीलामी बोली द्वारा श्री नरेश कुमार पुत्र चन्द्रमोहन शर्मा निवासी बेडक्या को जुपवाये जाने पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा गाली–गलौच कर जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और मौके पर हकाई जुताई नही करने दिया गया तथा ट्रस्ट के सदस्यों की झूठी रिपोर्ट थाना अटरू में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा दी गई। दिनांक 20/06/2013 को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खंड कोटा द्वारा प्रन्यास का प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसकी अपील अप्रार्थी के पिता शंकर दास द्वारा आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के कार्यालय में की गई जो कि अपील दिनांक 05/06/2018 को खारिज कर मंदिर के समस्त अधिकार मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी ट्रस्ट को दे दिए गये थे। प्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता पति द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 21/05/2012 को माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर अटरू के यहां एक वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 30/10/2012 को प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ताफैसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया गया जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व भू प्रबंध अधिकारी कोटा के यहाँ प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 21/04/2015 को अपील स्वीकार कर अधीनस्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 30/10/2012 को खारिज कर निर्णय दिया गया कि श्रीमान तहसीलदार अटरू को उक्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर आदेश किया कि यदि प्रार्थी रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी क्रम 1 व 2 वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बनाए रखने की सूरत में निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर 2000/–रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि सम्बंधित तहसीलदार को जमा करावे, समय पर राशि जमा नहीं करने की सूरत में तहसीलदार अटरु को वादग्रस्त आराजी को अपने कब्जे में लेकर नीलामी बोली से काश्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और उक्त नीलामी बोली से प्राप्त राशि से मंदिर की सेवा–पूजा, भोग, रखरखाव इत्यादि की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें। जिसके पश्चात उप जिला कलेक्टर अटरू के यहाँ विचाराधीन वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती एवं खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89,91,183,188 आर0टी0एक्ट एक्ट को भी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 17/08/2015 को तनकीयात की स्टेज पर खारिज करवा लिया जिससे पुजारी शंकरदास व उसके वारिसान को प्राप्त सभी अधिकार लक्ष्मीनारायण जी मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थी के पिता शंकरदास व अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश अटरू के यहां दिनांक

31/08/2015 को एक वाद बाबत घोषणा पुजारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें भी नाकामयाबी मिलने के आधार पर दिनांक 26/09/2024 को वास्ते बहस की स्टेज पर स्वयं प्रार्थी द्वारा खारिज करवा लिया गया जिससे मंदिर व्यवस्था व पूजा का अधिकार भी प्रार्थी ट्रस्ट को प्राप्त हो चुका है इन तमाम न्यायिक कार्यवाहियों के खारिज हो जाने के पश्चात भी प्रतिवादिगण आये दिन मंदिर व प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी को लेकर लड़ाई झगडा कर आराजी पर कब्ज़ा करने पर आमादा रहते है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को उनके द्वारा किए जा रहे वैधानिक एवं गैरकानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है अगर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 अपने वैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गए और उन्होंने प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया और मंदिर की सेवा पूजा अर्चना में विघ्न उत्पन्न कर दिया तो प्रार्थी को मंदिर व आराजी में प्राप्त चले आ रहे अधिकार व व्यवस्था व धार्मिक आयोजनों के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा । इस वजह से प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थी ट्रस्ट को प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करने देवे जिसमें किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। यदि कब्ज़ा काश्त में दखल अन्दाजी करे तो माननीय न्यायालय भू राजस्व अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 21/04/2015 के आदेशानुसार तहसीलदार अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जाकर आराजी को अपने कब्जे में लेकर नीलामी बोली से काश्त करने की व्यवस्था की जावे जिसे प्राप्त आय को प्रार्थी ट्रस्ट को दिलवाया जावे । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है । इसलिए सुविधा का संतुलन एवं न्याय का संतुलन प्रथम दृष्टया के प्रार्थी के पक्ष में है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि –प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 144 का खसरा नं. 115 का रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 428 का रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 429 का रकबा 3.20 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.33 है0 भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को पाबन्द फरमाया जावे कि वे न तो स्वयं कब्ज़ा काश्त करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। यदि कब्ज़ा काश्त में दखल अन्दाजी करे तो माननीय न्यायालय भू राजस्व अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 21/04/2015 के आदेशानुसार तहसीलदार अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जाकर आराजी को अपने कब्जे में लेकर नीलामी बोली से काश्त करने की व्यवस्था की जावे जिसे प्राप्त आय को प्रार्थी ट्रस्ट को दिलवाया जावे।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बेडक्या पटवार हल्का मेरमाचाह जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 144, मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी ट्रस्ट सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा प्रमाण पत्र, नकल निर्णय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा निर्णय दिनांक 20.06.2013,नकल निर्णय अपील आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर निर्णय दिनांक 05.06.2018, नकल निर्णय माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा निर्णय दिनांक 21.04.2015, नकल निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू निर्णय दिनांक 17.08.2015, नकल निर्णय माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अटरू जिला बारां निर्णय दिनांक 26.09.2024 आदि पेश किए गए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कथन किया गया किप्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में वाद पेश करना स्वीकार है शेष मद अस्वीकार है क्योकि वादी प्रार्थी ने पूरा ही वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र मनगढन्त एवं झूठे तथ्यों पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज तथ्य मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की व्यवस्था के लिये ट्रस्ट बना हुआ है अस्वीकार है फर्जी एवं कागजी ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों ने कभी भी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की देख रेख, सेवा, पूजा, अर्चना, तेल, भौग की व्यवस्था नही की। ट्रस्ट भी जो बनाया है वह उसमें वर्णन है कि मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी का प्रन्यासी के पूर्वज रामगोपाल जी आत्मज सालिगराम जाति गालव ब्राहमण निवासी बेडक्या ने बनाया था तथा मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के खाते की जमीन मन्दिर बनाने वाले रामगोपाल जी ने ही दान में दी थी। मन्दिर रामगोपाल जी ब्राहमण का है तथा प्रन्यासी उनके वारिसान है अगर मन्दिर रामगोपाल जी ने बनाया था तथा मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के खाते की आराजी दान में दी थी तो वादी/प्रार्थी सबूत पेश करें क्योकि न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया बल्कि ग्राम बेडक्या तहसील अटरू में गांव बसा तभी से मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज विराजमान है इस मन्दिर की देख रेख, पूजा अर्चना भोग त्यौहारों पर विद्युत सजावट अप्रार्थीगण पिछली चार पीढियों से करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण के पूर्वजों की तीन पीढियों तक उक्त मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान बेडक्या की आराजी में खातेदार कृषक के रूप में नाम दर्ज रहा है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 जिस तरह से लिखा है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 जिस तरह से लिखा है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 भी जिस तरह से

लिखा है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 7 पूरा ही असत्य तथ्यों काल्पनिक तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नही है क्योकि ग्राम बेडक्या में पुजारी का एक ही घर है वर्तमान पुजारी के पूर्वजों ग्यारसीदास, धूलीदास को पूरे ग्रामवासी बेडक्या ने पुजारी बनाया था नियुक्त किया था तभी से अप्रार्थी क्रम 1, 2 तथा उनके पूर्वज पूजा, अर्चना, करते चले आ रहे है। वादी/प्रार्थी वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थी क्रम 1, 2 को प्रताडित करके गांव से भगाना चाहते है जबकि सम्पूर्ण ग्रामवासी चाहते है कि अप्रार्थीगण क्रम 1, 2 ही मन्दिर की व्यवस्था जिस तरह से करते चले आ रहे है उसी तरह से करते रहे तथा मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज की खाते की आराजी को काश्त करके गुजर बसर कर सके। इस बाबत गांव वालों ने पुजारी के पक्ष में लिखकर भी दे रखा है तथा मन्दिर बना तब से आज दिन तक न तो मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज विराजमान बेडक्या की पूजा अर्चना बाबत विवाद हुआ और ना ही मन्दिर की आराजी कुल किता 3 का कुल रकबा 3.33 हैक्टर के कब्जे काश्त को लेकर भी कोई विवाद नही हुआ है स्वयं वादी/प्रार्थी विवाद पेदा कर रहे है जिनको मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान बेडक्या की पूजा व्यवस्था तथा आराजी काश्त बाबत किसी प्रकार का वेध अधिकार नही है। फर्जी एवं कागजी ट्रस्ट बनाने से प्रथम दृष्टया यह नहीं माना जायेगा कि ट्रस्ट ही व्यवस्था करवा रहा है। मन्दिर बनाने का सबूत तथा मन्दिर की आराजी रामगोपाल जी द्वारा दान में देने बाबत रिकार्ड दस्तावेज पेश करने होगें इनके अभाव में वादी/प्रार्थी का दावा एवं प्रार्थना पत्र काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 8 पूरा ही असत्य निराधार बनावटी होने की वजह से स्वीकार है बल्कि अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 का प्रथम दृष्टया केस है तथा न्याय का सन्तुलन तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी क्रम 1व 2 के पक्ष में है क्योकि पिछली चार पीढियों से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पूर्वज मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान बेडक्या की सेवा पूजा करते चले आ रहे है तथा मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान के खाते की आराजी माल बेडक्या में स्थित खाता संख्या 144 की कुल किता 3 का कुल रकबा 3.33 हैक्टर को शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। सम्वत 2009 से आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड जवाब प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न है जो काबिल गौर है तथा ट्रस्ट (प्रन्यास) बनाया उसका भी रिकार्ड जवाब प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न है तथा सभी ग्रामवासी बेडक्या का प्रमाण पत्र भी संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 9 स्वीकार है तथा निम्नलिखित विशेष कथन पेश किए गए।

विशेष कथन

वाके ग्राम बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां में मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज स्थित है। यह मन्दिर गांव बसा तभी का बना हुआ है तथा पूरे गांव में एक ही मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान का स्थित है उक्त मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज की पूजा अर्चना भोग अवैर सवैर मन्दिर की साफ सफाई मरम्मत पुताई समय समय पर तथा त्यौहारों पर विद्युत की सजावट अप्रार्थी क्रम 1, 2 तथा उनके पूर्वज करते चले आ रहे है पूर्व में उक्त मन्दिर की पूजा अर्चना अप्रार्थी क्रम 1 के पिताजी शंरकदास जी करते थे तथा शंरकदास जी से पहले ग्यारसीदास जी करते थे तथा माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान ग्राम बेडक्या तहसील अटरू के खाते की आराजी पर सम्वत 2009 से 2010 में ग्यारसीदास बेटा धूलीदास बैरागी निवासी बेडक्या का नाम दर्ज है इसके पूर्व वाले रिकार्ड में ग्यारसीदास के पिताजी धुलीदास के खाते दर्ज थी जो नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 15.02.41 को ग्यारसीदास पुत्र धुलीदास बैरागी निवासी बेडक्या के नाम खाता दर्ज हुई जिसके पुराने ख०न० 89 का रकबा 15 बिस्वा ख0न0 203 का रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा तथा ख0न0 204 का रकबा 2 बिघा 1 बिस्वा कुल किता 3 का कुल रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा आराजी स्थित है फिर माफी रिज्यूम होने के बाद में दिनांक 01.07.1963 को माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान दैह पुजारी ग्यारसीदास पुत्र धुलीदास जाति बैरागी निवासी बेडक्या का नाम खाते दर्ज हुआ और उक्त आराजी धारा 91/13 के तहत ग्यारसीदास पुत्र धुलीदास जाति बैरागी निवासी बेडक्या के खाते दर्ज हुई तथा ग्यारसीदास का स्वर्गवास होने के बाद में उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 29.10.1977 ग्यारसीदास के वारीसान शंकरदास वगे० के नाम खाता दर्ज हुई नकल जमाबन्दी 2008 से 2039 तक की फोटो जवाब प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न है दौराने सेटलमेंन्ट पुराने ख०न० के नवीन ख०न० निम्न प्रकार से बनाये गये है पुराने ख०न० 84 का रकबा 15 बिस्वा के नवीन ख0न0 115 का रकबा 0.12 हैक्टर ख0न0 325 का रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा के नवीन ख0न0 429 का रकबा 3.20 हैक्टर तथा ख0न0 428 का रकबा 0.01 हैक्टर बनाया है इस तरह से कुल किता 3 का कुल रकबा 3.33 हैक्टर बना है। वादी/प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा एक फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज प्रन्यास बनाया जो सन् 2012–2013 में बनाया था। इस के रिकार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण महाराज ग्राम बेडक्या का निर्माण प्रन्यासी के पूर्वज रामगोपाल पुत्र सालिगराम ब्राहमण निवासी बेडक्या ने कराया था तथा मन्दिर को दान में आराजी भी रामगोपाल पुत्र सालिगराम द्वारा दी गई लेकिन ऐसा कोई सबूत दस्तावेज लिखावट वादी/प्रार्थी के पास नही है कि मन्दिर रामगोपाल जी ने बनाया था व रामगोपाल जी ने मन्दिर को जमीन दान में दी थी इस वजह से

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी/वादी द्वारा मनगढंत एवं झूठे तथ्यों पर वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः अप्रार्थीगण क्रम 1, 2 माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) आर०टी०एक्ट पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें तथा प्रार्थी से अप्रार्थीगण के खिलाफ झूठा मुकदमा पेश करने के एवज 50,000/– रूपये हर्जा खर्चा दिलाया जावे। अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान जमाबन्दी सम्वत 2009–2010, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या निजामत अटरू जमाबन्दी सम्वत 2009–2010, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 74 सम्वत 2036–2039, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 74 जमाबन्दी सम्वत 2026–2029, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 74 सम्वत 2036–2039, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 76 जमाबन्दी सम्वत 2020–2023, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 74 जमाबन्दी सम्वत 2024–2027, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 72 सम्वत 2028–2031, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 75 जमाबन्दी सम्वत 2036–2039, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 72 सम्वत 2032–2035, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 86 सम्वत 2036–2039, नकल सेटलमेंट विभाग जमाबन्दी खाता संख्या 73 सम्वत 2013–2032, नकल नामान्तकरण पंजिका ग्राम बेडक्या नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या 86, नकल मिलान क्षेत्र ग्राम बेडक्या सम्वत 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 114 जमाबन्दी सम्वत 2059–2062, नकल जमाबन्दी ग्राम बेडक्या खाता संख्या 122 सम्वत 2063–2066 आदि दस्तावेज पेश किए।

अभिभाषकगण की बहस सूनी गई।अभिभाषक प्रार्थीद्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम व माल बेडक्या की आराजी खाता संख्या 144 कुल किता 3 का रकबा 3.33 है0 भूमि मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज विराजमान बेडक्या के दर्ज खाता स्थित है। मंदिर शाश्वत नाबालिग होने की वजह से मंदिर की देखरेख सेवा पूजा अर्चना तेल भोग आदि व्यवस्था हेतु मंदिर लक्ष्मीनारायण जी ट्रस्ट बना हुआ है तथा उक्त आराजी को ट्रस्ट द्वारा ही निलामी बोली द्वारा मुनाफा काश्त से जुपवाया जाता रहा है। लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 व 2 निलामी

बोली द्वारा जुपवाये जाने पर गाली गलौच व जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तथा मौके पर हकाई जुताई नही करने दिया तथा ट्रस्ट के सदस्यों की झूठी रिपोर्ट करा दी। अतः अप्रार्थी कम 1 व 2 को पाबन्द फरमाया जावे की वे न तो स्वयं और न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कब्जा काश्त करे तथा यदि कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करे तो तहसीलदार अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- ●मंदिर श्री ठाकुर जी, नोहर बनाम भगवानदास व अन्य (Revision No. 500/724, Hanumangarh of 2005) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर।
- ●रामनारायण व अन्य बनाम श्री चारभुजा जी स्थान देह (Revision No. 5092/Udaipur of 10)माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर।

अभिभाषक अप्रार्थी कम 1 व 2 ने उक्त बहस का पूरजोर विरोध किया तथा कथन किया किग्राम बेडक्या में मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज गांव बसा तभी से बना हुआ है तथा पूरे गांव में एक ही मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान का स्थित है उक्त मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज की पूजा अर्चना भोग अवैर सवैर मन्दिर की साफ सफाई मरम्मत पुताई समय समय पर तथा त्यौहारों पर विद्युत की सजावट अप्रार्थी क्रम 1, 2 तथा उनके पूर्वज करते चले आ रहे है वादी/प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा एक फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज प्रन्यास बनाया जो सन् 2012–2013 में बनाया था। इस के रिकार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण महाराज ग्राम बेडक्या का निर्माण प्रन्यासी के पूर्वज रामगोपाल पुत्र सालिगराम ब्राहमण निवासी बेडक्या ने कराया था तथा मन्दिर को दान में आराजी भी रामगोपाल पुत्र सालिगराम द्वारा दी गई लेकिन ऐसा कोई सबूत दस्तावेज लिखावट वादी/प्रार्थी के पास नही है कि मन्दिर रामगोपाल जी ने बनाया था तथा पुनः जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों पर प्रकाश डालते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया।

निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक हैः–

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमः– व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबन्ध–

(क)किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुचानें या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्दश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है तो न्यायालय अस्थाई व्यादेश कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्व उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया इतनी रकम की नकद प्रतिभूत दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याह्त कर सकेगा।

धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमः– आदेशों की अपील–

(1) इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश की ओर ऐसे अन्य आदेशों की, धारा 212 में और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 104 में वर्णित है, अपील–

I- यदि ऐसा आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया जाता है तो कलक्टर तो,

II- यदि ऐसा आदेश सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी या कलक्टर, द्वारा पारित किया जाता है, तो राजस्व अपील प्राधिकारी को, और

III- यदि ऐसा आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है तो बोर्ड को,

अभिभाषकगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के अपील संख्या 334/2012 निर्णय दिनांक 21.04.2015 का अध्ययन किया गया। उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2012 निरस्त किया गया है। यदि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी पर मूल दावे के निस्तारण कर कब्जा बनाये रखना चाहता है तो वह इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर 2000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि सम्बन्धित तहसीलदार को जमा करावें। यदि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट उक्त नगद प्रतिभूति राशि समय पर जमा कराने में असमर्थ रहता है तो तहसीलदार अटरू उक्त वादग्रस्त आराजी का कब्जा लेकर निलामी बोली से काश्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और उक्त निलामी बोली से प्राप्त राशि से मंदिर मूर्ति की सेवा, पूजा, तेल भोग आदि रख–रखाव की व्यवस्था मूल दावे के निस्तारण तक स्वयं की देखरेख में करवाया जाना सुनिश्चित करें।

न्यायालय में जैरकार प्रकरण ग्राम व माल बेडक्या की आराजी खाता संख्या 114 के खसरा नं0 115 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 428 का रकबा 0.01 है0 व ख0नं0 429 का रकबा 3.20 है0 कुल किता 3 का रकबा 3.33 है0 आराजी से संबंधित है तथा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णित अपील संख्या 334/2012 दिनांक 21.04.2015 भी उक्त आराजी से संबंधित ही है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नही होते है।

उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 21.04.2015 को निर्णय किया जा चुका है तथा माननीय न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई हेतु कोई दिशा निर्देश नही दिए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 (1) (।।।)को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर टी एक्टखारिजकिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां